प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद एटा।

एटा अलीगंज~ अवैध शराब बरामदगी विरुद्ध चलाये गए अभियान के तहत थाना अलीगंज पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराव बनाते दो अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद भट्टी (शराव बनाने के उपकरण) 20 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब तथा शराब तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी अलीगज श्री अजय कुमार के नेतृत्व में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा अवैध शराव के निष्कर्षण के दौरान 01 अदद भट्टी (शराव बनाने के उपकरण) सहित 20 लीटर देशी / कच्ची अपमिश्रित शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी है।

घटनाक्रमानुसार दिनांक 05.12.2020 को थाना अलीगंज पुलिस शांति व्यवस्था ड्यूटी गस्त के दौरान मुखविर की सूचना मिली की ग्राम टपुआ में ऐशवीर सिंह के खेत में अवैध कच्ची शराब वन रही है कि सूचना पर ग्राम टपुआ ऐशवीर के खेत से अवैध कच्ची शराब बना रहे दो अभियुक्त फेरू सिंह व रामजीलाल गिरफ्तार कर मौके से 20 लीटर अवैध कच्ची शराव एवं शराब बनाने के उपकरण (01 अदद भट्टी) समय 00.20 बजे बरामद कर कब्जा पुलिस ली गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना अलीगंज पर मु0अ0स0 426/2020 धारा 60/60(2) आ0अधि0 पंजीकृत कर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामपताः-

1- फेरू सिंह पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम टपुआ थाना अलीगंज जनपद एटा।

2. रामजीलाल पुत्र कप्तान सिंह निवासी टपुआ थाना अलीगंज जनपद एटा।

बरामदगी

20 लीटर कच्ची शराब एवं शराव बनाने के उपकरण।

बरामदगी / गिरफ्तार करने वाला पुलिस बलः-

1. उपनिरीक्षक श्री संजीव कुमार
2. आरक्षी 872 विष्णु कुमार
3. आरक्षी 1216 आशू राजपूत

कोतवाली अलीगंज-एटा